न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

फौजदारी प्रकरण सख्या 3/2011

सरकार जरिये सहायक लोक अभियोजक प्रथम, अजमेर।

– प्रार्थी

बनाम

श्रीकुमार उर्फ सीरिया उर्फ सुन्दर पुत्र श्री हीरानन्द जाति सिंधी निवासी फारसी कॉलोनी, ब्यावर, हॉल प्रेम नगर ब्यावर, पुलिस थाना ब्यावर सिटी, जिला अजमेर।

– गैरसायल

अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

उपस्थित :– 1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम अजमेर।
2. श्री एम.ए. चिश्ती, वकील गैरसायल की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांकः 30.05.2017

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि गैरसायल के विरूद्ध सहायक लोक अभियोजक प्रथम अजमेर द्वारा प्रस्तुत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के विचाराधीन रहते गैरसायल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके विरूद्ध विचाराधीन कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रति सहायक लोक अभियोजक प्रथम को दिलाई गई। वकील गैरसायल ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। तत्पश्चात हमने उभयपक्ष के वकीलो की बहस सुनी। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब मे सहायक लोक अभियोजक प्रथम का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र नितान्त गलत एवं गैरसायल की अल्पज्ञान पर आधरित है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय नई दिल्ली ने क्रिमनल अपील संख्या 870–71/2003 मे दिनांक 22.07.2010 को निर्णित करते हुए उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 5715/2000 एंव 4689/2001 मे पारित निर्णय दिनांक 06.12.2001 को परिवर्तित करते हुए राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) को वेध एवं संवैधानिक बताया है। सहायक लोक अभियोजक

अपर कलेक्टर एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रथम ने आगे कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे गलत तथ्य अंकित किये गये है। अप्रार्थी को मुकदमा नम्बर 6/2001 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ मे दिनांक 23.02.2001 को 54/2001 मे दिनांक 15.02.2011 व 100/2003 मे दिनांक 08.04.2005 को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जा चुका है। उक्त आधार पर गैरसायल राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) (V) की परिधी मे स्पष्ट रूप से आता है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा प्रकरण मे उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपति उस समय उठायी गई है जब न्यायालय द्वारा प्रकरण मे प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियोजन साक्ष्य पूर्ण कर सफाई साक्ष्य का अवसर लगाया गया। अतः परिवाद स्वीकार कर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

वकील गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध मौजुदा कार्यवाही नोटिस/इस्तगासा दिनांक 01.04.2011 अन्तर्गत धारा 3/7 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आरोप अधिरोपित कर गैरसायल को तडीपार करने संबंधी आदेश बाबत् अनुतोष सहित इस्तगासा प्रस्तुत किया है। जबकि उक्त अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानो को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा चुका है। अपने कथन के समर्थन मे उन्होने हमारा ध्यान आर.एल.डब्लु. 2006(3) पेज 2399 एंव डब्लु.एल.एन1986 पेज 458 की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि गैरसायल उक्त अधिनियम की धारा 2(ख) के गत गुण्डे की परिभाषा मे भी नही आता है। धारा 2(ख) के अन्तर्गत केवल ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है जिनके विरूद्ध धारा 3 के तहत कार्यवाही करने के पश्चात उक्त व्यक्ति द्वारा पुनः छः माह की अवधि मे 2(ख) के अन्तर्गत कोई अपराध कारित किया हो। अपने कथन के समर्थन मे उन्होने हमारा ध्यान आर.एल.डब्लु.2002(4) पेज 2184, सीआर.एल.आर.1995 पेज492, आर.एल.डब्लु 2006 पेज 2399, सीआर.एल.जे.1987 पेज1339, सीआर.एल.आर.1997 पेज 216, मे राज0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतो की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि इस्तगासे मे संलग्न प्रदर्श पी0–1 मे 'सी'से'डी' के अनुसार कुल 23 अपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हे जिनमे से क्रम संख्या 7, 8 व 14 का निस्तारण क्रमशः वर्ष 2001, 2011 व दिनांक 08.04.2005 को हो चुका है। जिनमे गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है। शेष प्रकरणो मे गैरसायल बरी हुआ है अथवा विचाराधीन होना दर्शाया गया है। वकील गैरसायल ने आगे कथन किया कि सरकार द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे मे भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कोई प्रकरण दर्ज नही है, तथा न ही 116,107,151 एंव 110 के तहत कोई प्रकरण दर्ज हुआ हैं। गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) मे परिभाषित किसी भी अपराध में यथा आबकारी अधिनियम एन0डी0पी0एस0 अधिनियम अथवा महिलाओ के विरूद्ध अभद्र व्यवहार के किसी भी अपराध मे आरोपी सिद्ध नही हुआ है। वकील गैरसायल ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन दिया कि गैरसायल के विरूद्ध केवल दो बार आरोप सिद्ध हुए

अपर कलेक्टर एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

है। तथा 6 माह की अवधि मे 3 प्राथमिकी दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी को अभ्यस्त अपराधी घोषित नही किया जा सकता। अन्त मे उन्होने कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के तहत नोटिस जारी नही किया गया है। इस कारण प्रकरण प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अतः इस्तगासा मे वर्णित अभिकथन उक्त अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत एवं विधि के सुस्थापित सिधान्तो के विरूद्ध होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस थाना ब्यावर सिटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तागासे का अवलोकन करने पर एक ही प्रकृति के तीन प्रकरण यथा 13 आरपीजीओ एवं अन्य प्रकरण विचाराधीन थे जिनमें अनेक प्रकरणों का निरस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। इस्तगासा दिनांक 19.04.2011 को प्रस्तुत किया गया है, जिसे करीब 6 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। प्रकरण में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों अनुसार पुलिस द्वारा इस्तगासा प्रस्तुत करने के पश्चात् आज दिवस तक अभियुक्त की वर्तमान गतिविधि के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे अभियुक्त की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में उपधारणा किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों व रिपोर्ट के आधार पर इस स्तर पर किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने के आधार प्रतीत नहीं होते है। अतः उक्तानुसार इस्तागासें की राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम धारा 3 की उपधारा 3 की परिधि में नहीं पाये जाने पर प्राप्त इस्तगासे को खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 31.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अजमेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

Scanned by CamScanner